

Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

NOTICE

In compliance to the relevant provisions under Section 62 and 64 of Electricity Act, 2003, and of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, and CSERC (Terms and Conditions for determination of Multi-Year Tariff) Regulations, 2025, Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd. (CSPTCL) has filed transmission tariff petition for final true-up for FY 2024-25 and Determination of ARR and Transmission tariff for the control period from FY 2026-27 to 2029-30 before the CSERC. This Petition has registered as Petition No. 05 of 2026. Petition is summarized in the tables given below:-

A. Summary of final true up of FY 2024-25

Amount (in Rs. Cr.)			
Sr. No.	Particulars	MYT Tariff Order dated 13.04.2022	Final True-up
1	Net ARR	1,226.29	1,312.24
2	Adjusted Gap/(Surplus) of FY 2022-23 with holding cost till FY 2024-25	(48.52)	(48.52)
3	Adjusted ARR for FY 2024-25	1,177.77	1,263.72
4	Revenue from Sale of Power	1,177.78	1,177.78
5	Revenue Gap/(Surplus) for FY 2024-25		85.94

B. Summary of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2026-27, FY 2027-28 FY 2028-29 & FY 2029-30

Amount (in Rs. Cr.)					
Sr. No.	Particulars	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30
1	HR Expenses	279.93	293.80	308.35	323.63
2	A&G Expenses	68.40	71.82	75.40	79.17
3	R&M Expenses	73.52	77.24	81.14	85.23
4	Terminal Benefits	252.50	283.84	334.73	383.30
5	Depreciation	422.80	492.94	599.10	800.17
6	Interest on Loan	214.92	279.40	390.42	631.36
7	Interest on working capital	26.55	30.27	35.91	45.96
8	Return on Equity	357.71	434.89	551.69	772.93
9	Total	1696.33	1964.19	2376.72	3121.75
10	Less: Non-Tariff Income	64.09	69.92	76.28	83.22
11	Aggregate Revenue Requirement (ARR)	1632.24	1894.28	2300.45	3038.54

C. Summary of proposed ARR for FY 2026-27

Amount (in Rs. Cr.)		
Sr. No	Particulars	FY 2026-27
1	ARR Projected	1632.24
2	Less: Gap of FY 2025-26 with Carrying Cost	101.27
3	Adjusted ARR for FY 2026-27	1733.51

As per the petition (Surplus)/Deficit of CSPTCL for the FY 2024-25 are estimated at Rs.85.94 Cr. and Adjustment of (Surplus)/Deficit of FY 2024-25 after treatment of carrying cost up to FY 2026-27 is Rs.101.27 Cr. CSTPCL has proposed Short Term Open Access (STOA) charges for FY 2026-27 as 37.36 Paise/kWh.

Copy of the tariff petition is available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur and the office of the Executive Director (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be obtained on any working day on payment of Rs.100/- and may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/. Copy of petition are also available at website www.cserc.gov.in.

Persons intending to file objections/suggestions relating to the above petition may send objections/suggestions directly to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur, e-mail id cserc.sec.cg@nic.in and/or Executive Director (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

**Executive Director (PC&RA)
CSPTCL, Raipur**

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 62 व 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छराविनिआ) (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2021 तथा छराविनिआ (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2025, के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम टूअप, वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं पारेषण टैरिफ के निर्धारण तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु याचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 05/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

उक्त याचिका का सारांश निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है :-

क. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम टू-अप का सार

क्र.	विवरण	बहुवर्षीय टैरिफ ऑर्डर दि. 13.04.2022	राशि (करोड़ रुपये में) अंतिम टू-अप
1	स्कल वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1226.29	1312.24
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के (सरप्लस) का समायोजन वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की होल्डिंग लागत सहित	(48.52)	(48.52)
3	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1177.78	1263.72
4	विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	1177.78	1177.78
5	वर्ष 2024-25 हेतु राजस्व (सरप्लस)/अंतर		85.94

ख. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	वर्ष 2028-29	वर्ष 2029-30
1	कर्मचारी मद में व्यय	279.93	293.80	308.35	323.63
2	ए. एंड जी. व्यय	68.40	71.82	75.40	79.17
3	आर. एंड एम. व्यय	73.52	77.24	81.14	85.23
4	सेवानिवृत्ति लाभ	252.50	283.84	334.73	383.30
5	अवमूल्यन	422.80	492.94	599.10	800.17
6	ऋण पर ब्याज	214.92	279.40	390.42	631.36
7	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	26.55	30.27	35.91	45.96
8	रिटर्न आन इक्विटी	357.71	434.89	551.69	772.93
9	कुल	1696.33	1964.19	2376.72	3121.75
10	घटाइए- अन्य आय (एनटीआई)	64.09	69.92	76.28	83.22
11	सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)	1632.24	1894.28	2300.45	3038.54

ग. वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1632.24
2	वर्ष 2026–27 हेतु (2024–25 आधिक्य के समायोजन के बाद) /कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम (सरप्लस)/अंतर	101.27
3	वर्ष 2026–27 हेतु समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1733.51

इस याचिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये राजस्व (सरप्लस)/अंतर रूपये 85.94 करोड़ एवं रूपये वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ रूपये 101.27 करोड़ अनुमानित है। पारेषण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 37.36 पैसे/यूनिट STOA Charges प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हे रूपये 100/-के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रूपये 50/- के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालय से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना एवं याचिका आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने आपत्तियां/सुझाव, निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in एवं/या कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या., विद्युत सेवा भवन, उंगनिया, रायपुर, पिन-492013 के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारे.कं.मर्या.रायपुर